Government of Rajasthan
Transport Department

No. F 6(261)/Pari/Tax/H.Q./2004 /9315 - 28 Jaipur, Dated :29/5/2015

Notification

Whereas the draft of the proposal of modifications in all the schemes issued from time to time under sub- section (3) of section 68D of Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act No. 4 of 1939), and sub-section (3) of section 100 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) for providing road transport services in respect of routes specified therein was published in the Gazette dated 01.10.2014.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 10.10.2014 and the notification was published in a State Level daily newspaper dated 12.10.2014.

And whereas, the objections and suggestions received from Rajasthan State Road Transport Corporation and public have been heard on 17.11.2014 and considered.

And whereas, the State Government, in view of additional demand of transport services considers necessary in public interest to allow private operators to ply for hire or reward stage carriages on routes specified in the said schemes.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 102 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following modifications in all the schemes published hitherto, namely:-

Modifications

The existing last clause, which was substituted in all the schemes vide notification number F 6 (261) pari /tax/hq/2004 dated 21.03.2007 shall be substituted by the following, namely:-

डॉ. मनीषा अरोड़ा
संयुक्त शासन सचिव (तु.)

"Notwithstanding anything contained in these schemes private operators may be permitted to ply their vehicles on hire or reward under the following conditions, namely:-

(1) Permit for stage carriage may be granted to private operators subject to the number of vehicles and trips limited by State Government for various categories of vehicles on such conditions as may be imposed by State Transport Authority.

(2) Permit for contract carriage may be granted to private operators within municipal/Urban Improvement Trust limits.

(3) Stage carriage permits may be granted within the municipal or Urban Improvement Trust limits and on sub-urban routes but no inclusion of routes shall be allowed for these permits. Special temporary permits under sub-section (8) of section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 may be issued to permit holders of a stage carriage plying exclusively within municipal/ Urban Improvement Trust limits or both and on sub-urban routes subject to directions issued by State Transport Authority, from time to time.

(4) Contract carriage permits for maxi cab having hard top may be granted on scheme routes.

(5) No person shall be allowed to provide passenger transport service on the scheme routes, except-

(i) Stage carriage of State Transport Undertakings of other States or nominee of respective States under the existing or future reciprocal inter-state transport agreement;

(ii) Stage carriage permit on sub-urban route as mentioned in clause (3) above;

(iii) Contract carriage permit granted to motor cab and maxi cab having hard top under section 74 of Motor Vehicles Act, 1988; and

(iv) Vehicles plying on other than scheme routes may be allowed overlapping on scheme routes provided that no alternate route is available but this overlapping is limited to 25 kilometers or 1/3rd of the scheme route, whichever is less, excluding the length of the portion of the route falling in the municipal/ Urban Improvement Trust limits:

29

डॉ. मनीषा अरोड़ा
संयुक्त शासन सचिव (गृ.)

Provided that the State Government may grant appropriate relaxation from the restriction of limits of overlapping in special circumstances.

(6) The Registration Certificate of vehicles plying on routes other than specified in the permit issued under the scheme may be suspended under section 53 of the Motor Vehicles Act, 1988 by the competent authority."

By Order Of Governor,

29

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary
संयुक्त शासन सचिव (मु.)

No. F 6(261)/Pari/Tax/H.Q./2004 19315-28 Jaipur, Dated : 29/5/15

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 29/5/15 and a copy thereof may be sent to this department.
2. Private Secretary to the Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan.
3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. P.S. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.
5. Private Secretary to Additional Chief Secretary (Home), Rajasthan Jaipur.
6. Private Secretary to Principal Secretary , Justice Department, Jaipur.
7. Private Secretary to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
8. Private Secretary to Transport Commissioner & Secretary.
9. Private Secretary to Chairman & Managing Director, RSRTC, Jaipur.
10. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
11. Additional Commissioner, ...(All) Zone.
12. Regional/Addl. Regional/District Transport Officers.....(All).
13. Shri Sanjay Singhal, ACP for updating departmental website.
14. Guard File.

29

Joint Secretary (H.Q.)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.6(261)परि/टैक्स/मु./2004/9314 जयपुर, दिनांकः 27/5/2015

अधिसूचना

यतः मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4) की धारा 68घ की उप–धारा (3) और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 100 की उप–धारा (3) के अधीन समय–समय पर जारी समस्त स्कीमों में उपान्तरणों के प्रस्ताव का प्रारूप, उसमें विनिर्दिष्ट मार्गों के संबंध में सड़क परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, दिनांक 01.10.2014 के राजपत्र में प्रकाशित कराया गया था,

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां दिनांक 10.10.2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं और अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 12.10.2014 को राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में करवा दिया गया था;

और यतः राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर दिनांक 17.11.2014 को सुनवाई की गयी और विचार किया गया;

और यतः, राज्य सरकार परिवहन सेवाओं की अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए, लोकहित में उक्त स्कीमों में विनिर्दिष्ट मार्गों पर मंजिली गाड़ियों को किराये या पारिश्रमिक पर चलाये जाने के लिए निजी संचालकों को अनुज्ञात किया जाना आवश्यक समझती है;

अतः अब, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अब तक प्रकाशित समस्त स्कीमों में, इसके द्वारा निम्नलिखित उपान्तरण करती है, अर्थात् :–

उपान्तरण

विद्यमान अंतिम खण्ड, जो समस्त स्कीमों में अधिसूचना संख्या एफ 6(261) परि/टैक्स/एच.क्यू./2004 दिनांक 21.03.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

डॉ. मनीषा अरोड़ा
संयुक्त शासन सचिव (मु.)

"इन स्कीमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निजी संचालकों को किराये या पारिश्रमिक पर उनके यान चलाने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात :–

(1) निजी संचालकों को मंजिली गाड़ी के परमिट, यानों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा यानों और फेरों की सीमित की गयी संख्या के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी शर्तों पर जो राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जायें, मंजूर किये जा सकेंगे।

(2) नगरपालिक/नगर विकास न्यास सीमाओं के भीतर निजी संचालकों को संविदा गाड़ी के परमिट मंजूर किये जा सकेंगे।

(3) नगरपालिक/नगर विकास न्यास सीमाओं के भीतर और उप–नगरीय मार्गों के लिए मंजिली गाड़ी के परमिट मंजूर किये जा सकेंगे किन्तु इन परमिटों के लिए मार्गों का सम्मिलित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप–धारा (8) के अधीन विशेष अस्थायी परमिट अनन्य रूप से नगरपालिक/नगर सुधार न्यास सीमा अथवा दोनों के भीतर और उप–नगरीय मार्गों पर चलायी जाने वाली किसी मंजिली गाड़ी के परमिट धारकों को समय–समय पर राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निदेशों के अध्यधीन रहते हुए जारी किये जा सकेंगे।

(4) स्कीम मार्गों पर हार्ड टॉप वाली मैक्सी कैब के लिए संविदा गाड़ी के परमिट मंजूर किये जा सकेंगे।

(5) स्कीम मार्गों पर यात्री परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, सिवाय–

(i) विद्यमान या भावी पारस्परिक अन्तरराज्यिक परिवहन करार के अधीन अन्य राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों या सम्बन्धित राज्यों के नामनिर्देशिती की मंजिली गाड़ी;

(ii) उपर्युक्त खण्ड (3) में यथा वर्णित उप–नगरीय मार्ग पर मंजिली गाड़ी परमिट;

डॉ. मनीषा अरोड़ा
संयुक्त शासन सचिव (पु.)

(iii) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अधीन मोटर कैब और हार्ड टॉप वाली मैक्सी कैब को मंजूर किये गये मंजिली गाड़ी परमिट;

(iv) स्कीम मार्गों से भिन्न मार्गों पर चलने वाले यानों को स्कीम मार्गों पर ओवरलैपिंग अनुज्ञात किया जा सकेगा बशर्ते उनके लिए कोई आनुकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो किन्तु यह ओवरलैपिंग नगरपालिक/नगर विकास न्यास सीमाओं में पड़ने वाले मार्ग के भाग की लम्बाई को छोड़कर 25 कि.मी. अथवा स्कीम मार्ग के 1/3, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगी :

परन्तु राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में ओवरलैपिंग की सीमाओं के निर्बंधन से युक्तियुक्त शिथिलता मंजूर कर सकेगी।

(6) स्कीम के अधीन जारी परमिट में विनिर्दिष्ट मार्ग से भिन्न मार्गों पर चलने वाले यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 53 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित किये जा सकेंगे।"

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोडा)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.6(261)परि/टैक्स/मु./2004/9315-28 जयपुर, दिनांकः 29/5/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 29/05/15 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (न्याय), जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।